न्यायालय उपजिला कलैक्टर, टोडाभीम

मु0 नं0– 65/15 ता0रजू– 03.08.2015

पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य आर. ए. एस.

उनवान–

1. रामेश्वर
2. रामखिलाडी

पिसरान रामजीलाल, समस्त जाति– माली, निवासी भैसाखुर्द, तहसील– टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान।

––––वादीगण

बनाम

1. प्रकाश पुत्र गुलाब
2. बनीराम पुत्र रामजीलाल
3. हरज्ञान पुत्र गुलाब
4. भाग्यसिंह पुत्र गुलाब
5. लोकेश पुत्र बनीराम
6. मुनेश पुत्र बनीराम
7. लल्लू उर्फ रामसिंह पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति– मीना, निवासी– भैसाखुर्द, तहसील– टोडाभीम, जिला– करौली, राजस्थान।

8. रामस्वरूप पुत्र जगन
9. श्रीराम पुत्र रामस्वरूप
10. विश्राम
11. शिवदयाल
12. नाहरसिंह
13. भूरसिंह

(10 से 13) पिसरान रामस्वरूप

14. प्रकाश पुत्र जंगली

समस्त जाति– माली, निवासी– भैसाखुर्द, तहसील– टोडाभीम, जिला– करौली, राजस्थान।

15. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

––––प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – 1. श्रीहंसराम गुर्जर एडवोकेट, –वादीगण
2. श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट –प्रतिवादी सं0 1 ता 14

निर्णय दिनांक– 22.05.2017

एवं

मु0 नं0– 05/16 ता0रजू– 19.01.2016

1. रामस्वरूप पुत्र जगन
2. प्रकाश पुत्र जंगली
3. गीता पत्नी बाबू
4. धनबाई पत्नी जंगली

समस्त जाति– माली, निवासी भैसा पट्टी खुर्द, तहसील– टोडाभीम, जिला– करौली, राजस्थान।

––––वादीगण

(हस्ताक्षर)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

बनाम

1. रामखिलाडी	मिसरान	समस्त जाति– माली, निवासी मैसा पट्टी खुर्द,
2. रतन	रामजीलाल	तहसील– टोडाभीम, जिला– करौली,
3. रामेश्वर		राजस्थान।

4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करीरी तहसील टोडाभीम, जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम जरिये शाखा प्रबंधक एस. बी. बी. जे. शाखा मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान।
6. उपपंजीयक टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
7. लेण्ड होल्डर, जरिये तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0।

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – 1. श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट –वादीगण
2. श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट –प्रतिवादी नं0 1 ता 3
3. श्री रामनरोसी गुप्ता एडवोकेट –प्रतिवादी नं0 4 व 5

निर्णय दिनांक– 22.05.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मु0 नं0 65/15 में वादीगण ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर अवगत कराया है कि भूमि हाल खसरा नं0 697 रकवा 0.15 है0 स्थित ग्राम मैसा पट्टी खुर्द का वादी नं0 1 रामेश्वर खातेदार काश्तकार है। एवं भूमि हाल खसरा नं0 705 रकवा 0.13 है0 स्थित ग्राम मैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम का वादी नं0 2 रामखिलाडी खातेदार काश्तकार है। जिनसें प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही है। दिनांक 10.07.2015 को सुबह 10 बजे वादीगण अपनी आराजी की देखभाल करने गये तो देखा कि प्रतिवादीगण द्वारा एक ट्रोली पत्थर डाल दिये ये सारी बातें वादीगण ने गॉव के पंच पटेलों को बतायी, तो उन्होंनें कहा की भविष्य में आपके खेत में कोई अडचल पैदा नही करेंगें। उसके बाद दिनांक 28.07.2015 को सुबह 9 बजे अपनी आराजी की देखभाल कर रहे थें, को प्रतिवादीगण हाथों में लाठी डण्डे लेकर आये और वादी से कहा कि तू इस भूमि पर आना जाना छौड दे हम इस पर जबरदस्ती मकान बनाऐगें वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया लेकिन वे नही माने इसलिए यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी नं0 1 ता 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे की वे भूमि खसरा नं0 697 रकवा 0.15 है0, खसरा 705 रकवा 0.13 है0 स्थित ग्राम मैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नही करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा नही करे। तथा ऐसा कोई कार्य नही करें जिससें हकूक वादी गण को क्षति पहूँचती हो। प्रतिवादी नं0 15 रिकॉर्ड एवं मौके यथास्थिति बनाए रखें।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण नं0 1 ता 14 वकालतन उपस्थित आये प्रतिवादी नं0 15 के बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी नं0 1 ता 14 ने जबाव दावा पेश कर वादपत्र के अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुए अवगत कराया है कि ना तो दिनांक 10.07.2015 को और ना ही दिनांक 28.07.2015 को किसी भी समय वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कोई भी बात किसी भी प्रकार की नहीं हुयी वादीगण ने समस्त तथ्य बिल्कुल झूठे एवं मनगढन्त दर्ज करवा दिये। साथ ही विशेष विवरण में अवगत कराया है कि आराजी हाल खसरा नं0 704 रकवा 16 ऐयर, 705 रकवा 13 ऐयर एवं खसरा नं0 697 रकवा 15 ऐयर, वाके ग्राम भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली स्थित है। खसरा नं0 704 की खातेदारी वादीगण के सगे भाई रतन के हक में, खसरा नं0 705 की खातेदारी वादी नं0 2 रामखिलाडी के हक में, एवं खसरा नं0 697 की खातेदारी वादी नं0 1 रामेश्वर के हक में दर्ज रिकॉर्ड है, एवं हाल खसरा नं0 704, 705 एवं 697 एक ही साबिक खसरा नं0 401 से बनाऐ गये है। एवं जबाब दावा के मद नं0 9 में सजरा खानदान दर्ज करते हुए अवगत कराया है कि वादीगण एवं उनके भाई रतन एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व मुंशी, रामकिशोर, हीरालाल, मन्नू, किशनलाल, गीता एवं धनबाई का एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार है, जो एक ही पूर्वज जवाली की संतति है। प्रतिवादीगण के पूर्वज सीधे सादे थे जबकि वादीगण के भाई व उनके पिता रामजीलाल चतुर चालाक व्यक्ति थे, जो प्रतिवादीगण व मुंशी, रामकिशोर, हीरालाल, मन्नू, किशनलाल, गीता एवं धनबाई के संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान थे, जिसनें साबिक खसरा नं0 401 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 169 रकवा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 286 रकवा 17 बिस्वा एवं खसरा नं0 302 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी अंर्तगत धारा 15 राजस्थान टीनेंसी एक्ट तनहा अपने हक में दर्ज करवा ली। जबकि वास्तव में साविक खसरा नं 401 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी पर सम्व्त 2009 से पूर्व से पूर्वजों के समय से ही साठों साल से आज दिन तक लगातार 2/3 हिस्सा पर प्रतिवादीगण रामस्वरूप, प्रकाश, गीता पत्नी बाबू, धनबाई पत्नी जंगली, काबिज काश्त चले आ रहे है। जिससें वादीगण का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है। जो हाल राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी सम्व्त 2009 से 2031 से बखूबी सावित है। इस प्रकार हाल खसरा नं0 704, 705, व खसरा नं0 697 जो साविक खसरा नं0 401 से बने है, के 2/3 हिस्से पर आज दिन तक काबिज काश्त है। इस साल फसल सरसों व गेहूँ काश्त की थी। एवं दरोह की है। इस प्रकार प्रतिवादीगण रामस्वरूप पुत्र जगन, प्रकाश पुत्र जंगली, गीता पत्नी बाबू, धनबाई पत्नी जंगली, आराजी हाल खसरा नं0 704, 705 व 697 की खातेदारी लौंग लौंग पजेशन एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर अपने हक में खातेदारी करा पाने के अधिकारी है। जिसका एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु0 नं0 05/16 माननीय न्यायालय में वउनवानी रामस्वरूप बगै0 बनाम रामखिलाडी बगै0 दिनांक 18.01.2016 को पेश कर रखा है। इस प्रकार वादीगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह वादपत्र पेश किया है। वादग्रस्त आराजी के एक इंच भूभाग पर ना ही तो पहले कभी वादीगण का कब्जा काश्त रहा है, और ना ही आज है। अंत में दावा वादीगण मय हैवी कोस्ट खारिज फरमाये जाने की इस्तदुआ की है।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण वखिलाफ वादीगण और तनकी नं0 4 का निर्णय वहक प्रतिवादी बैंक व खिलाफ वादीगण हुआ है। और चूंकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजियात हाल खसरा नं0 704 रकवा 16 ऐयर, खसरा नं0 705 रकवा 13 ऐयर, खसरा नं0 697 रकवा 15 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 44 ऐयर जो साविक खसरा नं0 401 से बने है, के 2/3 हिस्से पर 12 वर्ष से अधिक का कब्जा काश्त साबित हो चुका है। व एडवर्स पजेशन होने के कारण प्रतिवादी सं0 8 ता 14 उक्त आराजी की अपने हक में खातेदारी करा पाने के अधिकारी साबित हो चुके है। तथा वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के भी प्रतिवादीगण अधिकारी है।

अतः मु0 नं0 65/15 वउनवानी रामेश्वर बगै0 बनाम प्रकाश बगै0 दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के हक में एक भी तनकीयात का निर्णय नही होने से खारिज किया जाता है। एवं मु0 नं0 05/16 वउनवानी रामस्वरूप बगै0 बनाम रामखिलाडी बगै0 दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा वहक वादीगण वखिलाफ प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर आराजी हाल खसरा नं0 704 रकवा 16 ऐयर, खसरा नं0 705 रकवा 13 ऐयर एवं खसरा नं0 697 रकवा 15 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 44 ऐयर वाके ग्राम भैसापट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नं0 704 रकवा 16 ऐयर, खसरा नं0 705 रकवा 13 ऐयर एवं खसरा नं0 697 रकवा 15 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 44 ऐयर वाके ग्राम भैसापट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान में वादीगण के 2/3 हिस्से के कब्जा काश्त में माने मजाहमत मदाखलत पैदा ना करें। वादीगण को उक्त आराजी के 2/3 हिस्से से वेदखल ना करें और ना ही किसी अन्य को करने देवें। वादीगण के हक में विना 2/3 हिस्से की खातेदारी कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय कर कब्जा नही करावें। ऐसा कोई कृत ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य को करने देवे, जिससें हकूक वादीगण पर विपरीत प्रभाव पडे। एवं प्रतिवादी सं0 6 को इस प्रकार पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी संबंधी किसी भी दस्तावेज को बाबत् रहन वय तस्दीक पंजीबद्ध ना करें। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें। तहसीलदार टोडाभीम उपरोक्तानुसार विवादित आराजियात का अमल राजस्व रिकॉर्ड में करें। निर्णय की एक प्रति मूल दावा मु0 नं0 5/16 वउनवानी रामस्वरूप बगै0 बनाम रामखिलाडी बगै0 में संलग्न की जावें। क्योंकि दोनों मुकदमों का निर्णय एक ही लिखा गया है। तथा रहन मुर्तहन के इन्द्राज रहन कर्ता पक्षकारान के हिस्से पर बदस्तूर रहेगें। मु0 नं0 65/15 वउनवानी रामेश्वर बगै0 बनाम प्रकाश बगै0 व मु0 नं0 05/16 वउनवानी रामस्वरूप बगै0 बनाम रामखिलाडी बगै0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner